न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, बीसलपुर, (जिला पीलीभीत).

<u>मुकदमा अपराध संख्या 442/2018</u>

<u>C.N.R.NO-UPPB100017102022</u>

<u>जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 448/2022</u>

राज्य................................बनाम..................श्रीपाल।।

<u>दिनॉकः 13.10.2022</u>

अभियुक्त श्रीपाल का जमानत प्रार्थना पत्र मु0अप0सं0 442/2018, धारा 323, 324 भा0दं0सं0, थाना बीसलपुर, जिला पीलीभीत में प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार में निरूद्ध है।

सुना तथा अवलोकन किया।

अभियुक्त उपर्युक्त के अधिवक्ता विद्वान द्वारा कथन किया गया है कि अभियुक्त उपरोक्त वाद में वॉछित है। अपराध जमानतीय है। रंजिशन झूठा फसाया गया है। वह निर्दोष है तथा वह अपनी जमानते देने को राजी है। अभियुक्त प्रस्तुत प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है।

अभियोजन की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी उपस्थित। अभियुक्त उपरोक्त द्वारा कारित अपराध का जमानतीय होना कहा गया है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत जमानत आधार पर्याप्त है।

अतः अभियुक्त द्वारा मु0 20,000/-रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र व इतनी ही धनराशि के दो स्थानीय सक्षम प्रतिभूगण प्रस्तुत करनें पर दौरान विचारण जमानत पर रिहा किया जाए।

(आनन्द कुमार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बीसलपुर,पीलीभीत।

दिनॉकः13.10.2022

S.ALAM

Digitally signed by ANAND KUMAR
Date: 2022.10.13 19:26:56 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court